रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/99 REGISTERED NO. DL-33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 24, 1999 (वैसाख 4, 1921)
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 24, 1999 (VAISAKHA 4, 1921)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	413
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	281
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	5
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	511
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)।	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचना	379
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	419
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।	1295
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	443
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को बताने वाला अनुपूरक	

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

CONTENTS

PAGE

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 413

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 281

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . . 5

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 511

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . . *

PART II—SECTION 2—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 of Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . 379

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs 419

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . —

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 1295

PART IV—Advertisements and Notices issued by private Individuals and private Bodies . 443

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc., both in English and Hindi *

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विशिष्ट सेवा/शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक/सराहनीय सेवा/शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल, 1999

सं० 62-प्रेज/99 : राष्ट्रपति, राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों में जेल प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रदान करने के लिए विशिष्ट सेवा या शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक तथा सराहनीय सेवा/शौर्य के लिए क्रमशः सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक और शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक सहर्ष प्रारम्भ करते हैं तथा उन्हें अभिशासित करने के लिए निम्नलिखित संविधियां बनाते और विहित स्थापित करते हैं जो 1 जुलाई, 1999 से लागू होना माना जाए ।

विशिष्ट सेवा/शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक

पहला : यह पुरस्कार पदक के रूप में होगा और इसे राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक की संज्ञा से अभिहित किया जाएगा । (इसके बाद इसे पदक कहा जाएगा ।)

दूसरा : इस पदक की आकृति वृत्ताकार होगी, यह चांदी से बना होगा जिस पर 1.38 इंच के व्यास में सोने का मुलम्मा चढ़ा होगा । इसके अग्रभाग पर बाहरी किनारे के साथ-साथ उठी हुई समलम्ब आकृतियों के जोड़े उत्कीर्ण होंगे । इसके मध्यवर्ती वृत्त में राष्ट्रीय चिन्ह होगा जिसके केन्द्र में राज्य का आदर्श वाक्य और विशिष्ट सेवा शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक (देवनागरी में) लिखा होगा । इस शील्ड के नीचे वर्ष का उल्लेख होगा । इसे प्रत्येक ओर तीन पुष्पों से पृथक करके लिखा गया होगा । इसके दूसरी ओर बाहरी किनारे के साथ-साथ उठी हुई समलम्ब आकृतियों के चार जोड़े और एक वृत्त होगा जिसके मध्य में (अंग्रेजी में) विशिष्ट सेवा शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक लिखा हुआ होगा और इसके चारों ओर क्षैतिज रेखाएं बनी हुई होंगी । बाहरी किनारे (रिम) पर पदक प्राप्तकर्ता का नाम उत्कीर्ण होगा ।

तीसरा : यह पदक केवल उन्हीं लोगों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने भारतीय भू-भाग के अन्दर सुधारात्मक सेवा के सदस्य के रूप में विशिष्ट कर्तव्य-निष्ठा का प्रदर्शन किया हो या अद्भुत साहस और कौशलयुक्त कार्य सम्पन्न किया हो ।

चौथा : जिन व्यक्तियों को ये पदक प्रदान किए जाएंगे, उनके नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और राष्ट्रपति द्वारा निदेशित अधिकारी उन नामों का रजिस्टर रखेगा ।

पांचवां : प्रत्येक पदक, 1.38 इंच चौड़े रिबन के सहारे सीने के बाईं ओर लटकाया जाएगा । इस रिबन के आधे भाग का रंग हरा और आधे भाग का रंग भगवा होगा । इन दोनों रंगों के बीच 1/8 इंच चौड़ी पीली क्षैतिज रेखा होगी ।

छठा : शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति यदि पुनः शौर्य का ऐसा कार्य संपन्न करता है जिसके लिए वह सम्मान का अधिकारी है तो उसे इस कार्य के लिए उस रिबन के साथ एक पट्टी लगाकर सम्मानित किया जाएगा जिससे उस पदक को लटकाया गया है । इस प्रकार के प्रत्येक अतिरिक्त कार्य के लिए एक अतिरिक्त पट्टी लगा दी जाएगी । केवल रिबन लटकाने की स्थिति में इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक पट्टी के लिए एक रजत कमल पट्टी पर लगा दिया जाएगा । इस रजत कमल पर सोने का मुलम्मा चढ़ा होगा ।

सातवां : राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रदान किए गए इस पदक को रद्द और निरस्त कर सकते हैं । तत्पश्चात ऐसा पदक प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा । तथापि, राष्ट्रपति इस प्रकार जब्त किए गए सम्मान को बहाल करने के लिए सक्षम होंगे । उक्त सम्मान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान प्राप्त करने से पहले एक करार करना होगा कि यदि उपर्युक्त के अनुसार उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाए तो उसे पदक लौटाना होगा । निरसत किए जाने वाले या बहाल किए जाने वाले प्रत्येक मामले में जारी किया गया नोटिस भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

आठवां : राष्ट्रपति, इन संविधियों का प्रयोजन पूरा करने के लिए नियम बनाने हेतु सक्षम होंगे ।

सराहनीय सेवा शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक

पहला : यह पुरस्कार पदक के रूप में होगा तथा इसे सुधारात्मक सेवा पदक के रूप में बनाया और नाम दिया जाएगा (इसके बाद इसे पदक लिखा जाएगा) ।

दूसरा : यह पदक आकृति में वृत्ताकार होगा और कांसे का बना होगा तथा 1.38 इंच व्यास का होगा। इसके आगे के भाग में बीच में राष्ट्रीय चिन्ह उत्कीर्ण होगा तथा 'सुधारात्मक सेवा पदक' शब्द (हिन्दी में) वृत्ताकार में लिखे जाएंगे। सम्पूर्ण शील्ड पर एक छः कोनों वाला सितारा बनाया जाएगा। नीचे के स्थान पर शब्द 'भारत' और वर्ष उत्कीर्ण किया जाएगा। इसके पीछे की ओर बीच में शंख की आकृति बनाई जाएगी तथा बीच के गोले में यथा स्थिति 'सराहनीय सुधारात्मक सेवा' अथवा 'शौर्य के लिए' शब्द अंग्रेजी में लिखे जाएंगे। इसके चारों ओर एक छः कोनों वाला सितारा बनाया जाएगा। बाहरी किनारे (रिम) पर पदक प्राप्तकर्त्ता का नाम अंकित होगा।

तीसरा : ये पदक भारतीय भू-भाग के अन्दर मान्यता प्राप्त सुधारात्मक सेवा के केवल उन्हीं सदस्यों को प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने विशिष्ट प्रकार की सराहनीय सेवा या शौर्य का प्रदर्शन किया है।

चौथा : उन व्यक्तियों के नाम, जिन्हें यह पदक प्रदान किया जाएगा, भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा ऐसे नामों का एक रजिस्टर गृह मंत्रालय में राष्ट्रपति द्वारा निदेशिक अधिकारी द्वारा रखा जाएगा।

पांचवां : प्रत्येक पदक 1.38 इंच चौड़े रिबन के सहारे सीने के बाईं ओर लटकाया जाएगा और बीच में 1/8 इंच की पीली ऊर्ध्वाधर पट्टी होगी तथा विशिष्ट शौर्य के कार्यों के पुरस्कार के मामले में रिबन केसरिया होगा और बीच में 1/8" की पीली ऊर्ध्वाधर लाइन होगी।

छठा : पदक प्राप्त कोई व्यक्ति यदि पुनः ऐसा कोई विशिष्ट आचरण या शौर्य करता है जिसके लिए वह सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने का अधिकारी है तो उसे इस कार्य के लिए उस रिबन के साथ एक पट्टी लगाकर सम्मानित किया जाएगा जिससे उस पदक को लटकाया गया है। इस प्रकार प्रत्येक अतिरिक्त कार्य के लिए एक अतिरिक्त पट्टी लगा दी जाएगी। केवल रिबन लटकाने की स्थिति में इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक पट्टी के लिए एक छोटा रजत कमल रिबन पर लगा दिया जाएगा।

सातवां : राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रदान किए गए इस पदक को रद्द और निरस्त कर सकते हैं। तत्पश्चात ऐसा पदक प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। तथापि, राष्ट्रपति इस प्रकार जब्त किए गए पदक को बहाल करने के लिए सक्षम होंगे। उक्त सम्मान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान प्राप्त करने से पहले एक करार करना होगा कि यदि उपर्युक्त के अनुसार उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाए तो उसे पदक लौटाना होगा। निरस्त किए जाने वाले या बहाल किए जाने वाले प्रत्येक मामले में जारी किया गया नोटिस भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

आठवां : राष्ट्रपति इन संविधियों का प्रयोजन पूरा करने के लिए नियम बनाने हेतु सक्षम होंगे।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति के उप सचिव

सं० 63-प्रेज/99—विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक और शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक और सराहनीय कार्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक तथा शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करने संबंधी संविधियों के संविधि "आठवीं" के अनुसार उन्हें अभिशासित करने वाले निम्नलिखित नियम अधिसूचित किए जाते हैं :—

विशिष्ट सेवा/शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक,
राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक
प्रदान किए जाने के लिए नियम

1. उत्कृष्ट बहादुरी के आधार पर पदक प्रदान करने की सिफारिशें उत्कृष्ट बहादुरी प्रदर्शित करने की घटना के यथासंभव तुरन्त बाद की जाएगी और अन्य आधारों पर पदक प्रदान करने की सिफारिशें विशेष परिस्थितियों में तत्काल पदक प्रदान किए जाने के लिए किसी भी समय की जा सकती है।

2. सभी सिफारिशों में संस्तुत व्यक्ति का नाम और रैंक, सेवा—जिसका वह सदस्य है या था तथा उस सेवा की वीरता का विवरण दिया जाएगा जिसके लिए उसे पदक प्रदान किए जाने की सिफारिश की गई है।

3. विशिष्ट सेवा के लिए एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले पदकों की संख्या 25 से अधिक नहीं होगी। एक वर्ष में शौर्य के लिए दिए जाने वाले पदकों की संख्या ऐसी किसी सीमा के अधीन नहीं होगी।

4. पदक निम्नलिखित के लिए दिए जाएंगे :—

(ह) सुधारात्मक सेवा में विशेष रूप से उत्कृष्ट रिकार्ड के लिए,

(i) सुधारात्मक सेवा का संयोजन करने के लिए या विशेष कठिनाइयों में प्रशासन के बंदोबस्त के लिए जैसे कि भारी संख्या में कैदियों को नियंत्रित रखना,

(ii) दंगे न होने देने की उत्कृष्ट क्षमता, कैदियों को भागने से रोकने, कर्मचारियों को बचाने, खेल-कूद को बढ़ावा देना। सार्वजनिक कार्य और उत्कृष्ट सेवा जो सक्षमता कर्तव्य परायणता, वफादारी, एकता, उच्च अनुशासन भावना तथा बलिदान की भावना से किए गए हों

(iii) कैदी को पकड़ने या उसको भागने से रोकने में प्रदर्शित उत्कृष्ट वीरता जिसको प्रस्तुत करने से संबंधित अधिकारी के दायित्वों और कर्तव्यों में खतरा सन्निहित हो और पूर्ववर्ती वर्ष में किए गए उत्कृष्ट कार्य।

5. शौर्य के लिए दिए जाने वाले पदक में नीचे दी गई शर्तों पर और उनके अध्यधीन मौद्रिक भत्ता दिया जाएगा। उनका प्रभार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्तियों के संबंध में राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व द्वारा और केन्द्रीय

संगठनों से संबंधित पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता व्यक्तियों के संबंध में संबंधित केन्द्रीय संगठन द्वारा वहन किया जाएगा :—

(क) यदि किसी अधिकारी को उस पदक या पदक पट्टी का राष्ट्रपति पुलिस पदक/शौर्य के लिए पदक पहले भी प्रदान किया जा चुका है और बाद में भी उसे शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक दिया जाता है उसे मूल भत्ते के अलावा बाद पहले पदक के संबंध में भी पूरा भत्ता मिलेगा ।

(ख) भत्ता उस तारीख से दिया जाएगा जिस तारीख को यह कार्य किया गया था जिसके लिए पदक दिया गया है और अगर इसे दुराचार के कारण जब्त नहीं किया जाता है तो यह आजीवन जारी रहेगा ।

(ग) यदि किसी पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता को मृत्यु के समय भी भत्ता मिल रहा था तो वह भत्ता उसकी विधवा के लिए भी आजीवन अथवा तब तक जारी रहेगा जब तक वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती हैं (प्रथम विवाहिता पत्नी को प्राथमिकता दी जाएगी), यदि कोई पदक या पट्टी मृत्यु के बाद प्रदान की जाती है तो भत्ता उस तारीख से, जिस तारीख को वह कार्य किया गया था जिसके लिए पदक प्रदान किया गया है, प्राप्तकर्त्ता की विधवा को आजीवन या उसके पुनर्विवाह तक मिलता रहे (प्रथम विवाहिता पत्नी को प्राथमिकता दी जाएगी) ।

(घ) यदि पुरस्कार किसी अविवाहित व्यक्ति को मरणोपरान्त दिया जाता है तो मौद्रिक भत्ता उसके माता या पिता को दिया जाता रहेगा और यदि मरणोपरान्त पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति विधुर हो तो भत्ता यथास्थिति, 18 वर्ष से कम आयु के उनके पुत्र या अविवाहित पुत्र को दिया जाएगा ।

(ङ) इस वीरता पुरस्कार के सभी प्राप्तकर्त्ता, चाहे वे किसी भी रैंक के हों, एक समान दर पर मौद्रिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे । पदक और पदक–पट्टी के लिए मौद्रिक भत्ते की दर प्रति माह एक सौ रुपए होगी ।

6. यदि पदक धारक अनिष्ठा, कार्य में कायरता का या राष्ट्रपति की राय में ऐसे किसी कार्य का दोषी पाया जाता है जिससे बल की बदनामी हुई हो तो उसका पदक जब्त कर लिया जाएगा ।

7. 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा करने के लिए की जाने वाली सिफारिशें उस वर्ष के 26 अक्तूबर और 15 मई तक सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दी जानी चाहिए ।

सराहनीय सेवा/वीरता के लिए सुधारात्मक सेवा पदक

1. उत्कृष्ट बहादुरी के आधार पर पदक प्रदान करने की सिफारिशें उत्कृष्ट बहादुरी प्रदर्शित करने की घटना के यथासंभव तुरन्त बाद की जाएगी और अन्य आधारों पर पदक प्रदान करने की सिफारिशें विशेष परिस्थितियों में तत्काल पदक प्रदान किए जाने के लिए किसी भी समय की जा सकती है ।

2. सभी सिफारिशों में संस्तुत व्यक्ति का नाम और रैंक, सेवा—जिसका वह सदस्य है या था उस सेवा की वीरता का विवरण दिया जाएगा जिसके लिए उसे पदक प्रदान किए जाने की सिफारिश की गई है ।

3. सराहनीय सेवा के लिए 1 वर्ष में प्रदान किए जाने वाले पदकों (पदक–पट्टी को छोड़कर) की संख्या 75 से अधिक नहीं होगी । एक वर्ष में शौर्य के लिए दिए जाने वाले पदकों की संख्या ऐसी किसी सीमा के अधीन नहीं होगी ।

4. पदक निम्नलिखित के लिए दिए जाएंगे :—

(क) जेल सेवा में विशेष रूप से उत्कृष्ट रिकार्ड के लिए,

( ) सुधारात्मक सेवा का संयोजनक करने में सफलता के लिए या विशेष कठिनाइयों में प्रशासन के बंदोबस्त के लिए जैसे कि भारी संख्या में कैदियों को नियंत्रित रखना,

( ) क्षमतापूर्ण और सराहनीय ढंग से की गई दीर्घावधिक सेवा,

( ) दंगे न होने की उत्कृष्ट क्षमता कैदियों को भागने से रोकने, कर्मचारियों को बचाने, खेल–कूद को बढ़ावा देना । सार्वजनिक कार्य और उत्कृष्ट सेवा जो सक्षमता कर्त्तव्य परायणता, वफादारी, एकता, उच्च अनुशासन भावना तथा बलिदान की भावना से किए गए हों,

( ) कैदी को पकड़ने या उसको भागने से रोकने में प्रदर्शित आपवादिक वीरता के कार्य जिसको प्रदर्शित करने में संबंधित अधिकारी के दायित्वों और कर्त्तव्यों में खतरा सन्निहित हो ।

5. (क) शौर्य के लिए दिए जाने वाले पदक और पदक के बाद के लिए शौर्य के लिए राष्ट्रपति के दोष सुधार सेवा पद में निर्धारित शर्तों के अध्याधीन मौद्रिक भत्ता दिया जाएगा जो प्राप्तकर्त्ता के रैंक को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक माह 60 रुपए की समान दर पर दिया जाएगा । उनका प्रभार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता व्यक्तियों के संबंध में सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व द्वारा और केन्द्रीय संगठनों में संबंधित पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता व्यक्तियों के संबंध में संबंधित केन्द्रीय संगठन द्वारा वहन किया जाएगा ।

(ख) यदि किसी अधिकारी को उस पदक या बार या बीरों का शौर्य के लिए दोष सुधार सेवा पदक पहले भी प्रदान किया जा चुका है और बाद में भी उसे शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक दिया जाता है तो उसे मूल भत्ते के अलावा बाद वाले पदक के संबंध में भी पूरा भत्ता मिलेगा ।

यदि किसी अधिकारी को शौर्य के लिए भारतीय पुलिस पदक (पदक पहले भी प्रदान किया जा चुका है) और बाद भी उसे वीरता के लिए किसी कार्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक दिया

जाता है तो उसे मूल भत्ते के अलावा बाद वाले पदक के सम्बन्ध में भी पूरा भत्ता दिया जाना चाहिए ।

6. शौर्य के लिए पदक राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक से आगे उसके तत्काल बाद पहना जाएगा ।

7. यदि पदक धारक अनिष्ठा, कार्य में कायरता का या राष्ट्रपति की राय में ऐसे किसी कार्य का दोषी पाया जाता है जिससे बल की बदनामी हुई हो तो उसका पदक जब्त कर लिया जाएगा ।

8. 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा करने के लिए की जाने वाली सिफारिशें उस वर्ष के 26 अक्तूबर और 15 मई तक सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दी जानी चाहिए ।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति के उप-सचिव

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय

खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल, 1999

संकल्प

सं० ई–11015/9/95—हिन्दी—खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय (पूर्व खाद्य मंत्रालय) के सकल्प सं० ई–11015/9/95–हिन्दी दिनांक 30 अप्रल, 1997 का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार ने खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के लिए हिन्दी सलाहाकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है। इस समिति के सदस्य और कार्य इस प्रकार होंगे :—

(1) खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री — अध्यक्ष

(2) खाद्य और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री — उपाध्यक्ष

लोक सभा के सदस्य

(3) डा० राम विलास वेदान्ती — सदस्य

(4) श्री ए० वेंकटेश नायक — सदस्य

राज्य सभा के सदस्य

(5) श्री संघ प्रिय गौतम — सदस्य

(6) श्री बालकवि बैरागी — सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि

(7) श्री सोमजीभाई डामोर,
संसद सदस्य (लोक सभा) — सदस्य

(8) डा० महेश चन्द्र शर्मा,
संसद सदस्य (राज्य सभा) — सदस्य

गैर-सरकारी सदस्य

(9) डॉ० बाबू सिंह चौहान,
संत रविदास मार्ग, जेल रोड,
बहादुर गंज,
शाहजहाँपुर–242001 (उत्तर प्रदेश) — सदस्य

(10) श्री सुरेश मिश्र,
वैज्ञानिक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद्,
शाहजहाँपुर–242001
उत्तर प्रदेश । — सदस्य

(11) श्री सुधाकर प्रसाद राम तिवारी,
ग्राम रुद्रपुर, पोस्ट आफिस खजनी,
जिला गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) । — सदस्य

(12) डा० केशव फाल्के,
12–ब/20, शासकीय अधिकारी निवास,
मुंबई–34 । — सदस्य

(13) डॉ० टी० कुंज किशोर सिंह,
21, गोलबंद, थिंगोम लेकाई,
इम्फाल, मणिपुर । — सदस्य

(14) डॉ० एम० रामन नायर,
"सिंधु" भामंगलम, पाला खिट्टम,
कोच्चि–682025 (केरल) । — सदस्य

स्वैच्छिक संस्थाओं आदि के प्रतिनिधि

(15) अध्यक्ष, नागरी प्रचारिणी सभा,
1–ए, सुनहरी बाग रोड,
नई दिल्ली–110001 । — सदस्य

(16) केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् का प्रतिनिधि — सदस्य

सरकारी सदस्य

(17) सचिव, राजभाषा विभाग,
नई दिल्ली । — सदस्य

(18) संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग,
नई दिल्ली । — सदस्य

(19) सचिव, खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग — सदस्य

(20) अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार,
खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय — सदस्य

(21) संयुक्त सचिव (नीति), खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग — सदस्य

(22) संयुक्त सचिव (ना० पू०), खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग	सदस्य
(23) प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली	सदस्य
(24) प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली	सदस्य
(25) सचिव, शर्करा और खाद्य तेल विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
(26) संयुक्त सचिव (खाद्य तेल), शर्करा और खाद्य तेल विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
(27) संयुक्त सचिव (चीनी), शर्करा और खाद्य तेल विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
(28) संयुक्त सचिव (समन्वय), शर्करा और खाद्य तेल विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
(29) मुख्य निदेशक, शर्करा निदेशालय, नई दिल्ली ।	सदस्य
(30) मुख्य निदेशक, वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय, नई दिल्ली ।	सदस्य
(31) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कारपोरेशन, नई दिल्ली ।	सदस्य
(32) सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली ।	सदस्य
(33) अपर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली ।	सदस्य
(34) वित्तीय सलाहकार, उपभोक्ता मामले विभाग नई दिल्ली	सदस्य
(35) महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली ।	सदस्य
(36) प्रबन्ध निदेशक, सुपर बाजार, नई दिल्ली ।	सदस्य
(37) प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, नई दिल्ली ।	सदस्य
(38) संयुक्त सचिव—(हिन्दी के प्रभारी) खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग, नई दिल्ली ।	सदस्य-सचिव

2. समिति के कार्य

इस समिति के कार्य खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय और उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा निर्धारित नीति संबंधी ढांचे के अन्तर्गत आने वाले मामलों पर सलाह देना होगा ।

3. कार्यकाल

इस समिति का कार्यकाल इसके पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष तक होगा, परन्तु

(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे ।

(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे अपने-अपने उन पदों पर हैं जिनके कारण वे समिति के सदस्य हैं ।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्याग-पत्र देने, मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा ।

4. सामान्य

समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा, किन्तु समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

5. यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग में दिनांक 22 जनवरी, 1987 के का०ज्ञा०सं० 11/20034/4/86-रा०भा० (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, लेखा नियंत्रक, खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए ।

बलबीर सिंह,
संयुक्त सचिव

STATUTE AND RULES RELATING TO THE PRESIDENT'S CORRECTIONAL SERVICE MEDALS FOR DISTINGUISHED SERVICE/GALLANTRY AND CORRECTIONAL SERVICE MEDALS FOR MERITORIOUS SERVICE/GALLANTRY

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 5th April 1999

No. 62-Pres/99—The President is pleased to institute the following awards to be conferred on the officers and staff engaged in Prison Administration in the State Governments/ Union Territory Administrations in consideration of distinguished service or gallantry to be designated as PRESIDENT'S CORRECTIONAL SERVICE MEDAL FOR GALLANTRY and for meritorious service/gallantry to be designated as CORRECTIONAL SERVICE MEDAL FOR MERITORIOUS SERVICE AND CORRECTIONAL SERVICE MEDAL FOR GALLANTRY respectively and to make, ordain and establish the following statutes governing them which shall be deemed to have effect from the 1st July, 1999.

PRESIDENT'S CORRECTIONAL SERVICE MEDAL FOR DISTINGUISHED SERVICE/ GALLANTRY

Firstly : the award shall be in the form of a medal and styled and designated the President's Correctional Service Medal (hereinafter referred to as the Medal).

Secondly : the medal shall be circular in shape, made of silver with gold gilt, one and three eight inches in diameter and shall have embossed on the obverse four elevated pairs of trapezium design along the rim. In the middle circle, there will be the design of the State Emblem with its motto in the centre and the inscriptions President's Correctional Service Medal for Distinguished Service/ Gallantry and India (in Devnagri) alongwith year below the shield, separated by three flowers on each side. On the reverse it shall have four elevated pairs of trapezium designs along its rim and a circle with vertical lines inside surrounded with the inscription President's Correctional Service Medal for Distinguished Service/Gallantry (in English). On the rim the name of the person to whom the medal has been awarded, shall be inscribed.

Thirdly : the medal shall only be awarded to those who have either exhibited conspicuous devotion to duty or performed acts of exceptional courge and skill as members of Correctional Services within the territory of India.

Fourthly : the names of those to whom these medals may be awarded may be published in the Gazette of India and a Register of such names may be kept in the Ministry of Home Affairs by such person as the President may direct.

Fifthly : each medal shall be suspended from the left breast and the riband, of an inch and three-eight.in width. The riband will be half green and half saffron, the two colours being separated by a vertical yellow line 1/8" in Width."

Sixthly : any act of gallantry which is worth of recognition by the awards of President's Correctional Service Medal for gallantry but is performed by one upon whom the Decoration has already been conferred, may be recorded by a Bar attached to the riband by which the medal is suspended. For every such additional act, an additional Bar may be added. For each Bar awarded a small silver lotus with gold gilt shall be added to the riband when worn alone.

Seventhly : it shall be competent for the President to cancel and annul the award to any person of the above Decoration and that thereupon his name in the Register shall be erased. It shall, however, be competent for the President to restore any Decoration which may have been so forfieted. Every peroson to whom the said decoration is awarded shall, before receiving the same, enter into an agreement, to return the medal if his name is erased as aforesaid. Notice of cancellation or restoration in every case shall be published in the Gazette of India.

Eighthly : it shall be competent for the President to make rules to carry out the purpose of these statutes.

CORRECTIONAL SERVICE MEDAL FOR MERITORIUS SERVICE/GALLANTRY

Firstly : the award shall be in the form of a medal and styled and designated as the Correctional Service Medal (hereinafter referred to as the Medal)

Secondly : the medal shall be circular in shape made of of bronze one and three-eight inches in diameter and shall have embossed on the obverse the State Emblem in the Centre and words "Correctional Service Medal" (in Hindi) joined by a wreath. The shield will be surrounded by six cornered star. At the bottom, the words BHARAT and year shall be embossed. On the reverse side it shall have a c nch in the centre and the middle circle will contain words "For Meritorious Correctional Service" or "For Gallantry" in English as the case may be surrounded by a six conered Star. On the rim, the name of the person to whom the medal has been awarded shall be inscribed.

Thridly : the medal shall be awarded to only those memb rs of a recongnised correctional service within the territory of India, who have performed service of conspicuous merit of Gallantry.

Fourthly : the name of those to whom this medal may be awarded may be published in the Gazette of India and a Register of such names shall be kept in the Ministry of Home Affairs by such a person as the President may direct.

Fifthly ; each medal shall be suspended from the left breast and the riband of an inch and three eight in width shall be green with a 18" yellow vertical strip in the middle and in case of award of acts of conspicuoisus gallantry, the riband shall be saffron with yellow vertical line 1/8" in the middle.

Sixthly : any distinguished conduct or act of gallantry which is worthy of recongnition by the award of the correctional service Medal but is performed by one upon whom the Decoration has already been conferred may be recorded by a Bar attached to the Riband by which the medal is suspended.. For every such additional act, an additional Bar may be added and for each Bar awarded a small silver lotus shall be added to the riband when worn alone.

Seventhly : It shall be competent for the President to cancel and annul the award to any person of the above Medal and that thereupon his name in the Register shall

be erased. It shall, however, be competent for the President to restore any Medal which may have been so forfeited. Every person to whom the said Decoration is awarded shall before receiving the same, enter into an agreement to return the Medal if his name is erased as aforesaid. Notice of cancellation or restoration in every case shall be published in the Gazette of India.

Eighthly : it shall be competent for the President to make rules to carry out the pupose of these statutes.

BARUN MITRA,
Dy. Secy. to the President

New Delhi, the 5th April 1999

No. 63-Pres/99:—In accordance with the Statute "eighthly" of the statutes relating to the award of "PRESIDENT'S CORRECTIONAL SERVICE MEDAL FOR DISTINGUISHED SERVICE" AND PRESIDENT'S CORRECTIONAL SERVICE MEDAL FOR GALLANTRY" and for "CORRECTIONAL SERVICE MEDAL FOR MERITORIOUS SERVICE" AND "CORRECTIONAL SERVICE MEDAL FOR GALLANTRY", the following Rules governing them are notified:—

PRESIDENT'S CORRECTIONAL SERVICE MEDALS FOR DISTINGUISHED SERVICE/ GALLANTRY

1. Recommendations for award on the ground of conspicuous gallantry shall be made as soon as possible after the occasion for which the conspicuous gallantry was shown and in special circumstances recommendations for awards on other grounds may be made at any time for an immediate award.

2. All recommendations shall state the name and rank of the person recommended, the service of which he is or was a member and particulars of gallantry of the service for which the grant of the medal is recommended.

3. The number of medals awarded for distinguished service in any one year shall not exceed 25. There will be no limit on the number of medals to be awarded for gallantry in any one year.

4. The medal shall be awarded:

(i) for a specially distinguished record in correctional service;

(ii) for success in organising correctional service or maintaining the administration in special difficulties like mass admission of prisoners;

(iii) for outstanding ability in putting out riots, preventing escape of prisoners, rescuing the officials, sportsmanship, public work and exemplary service marked by efficiency, devotion to duty, integrity, loyalty, high sense of discipline and spirit of sacrifice.

(iv) for conspicuous gallantry in apprehending a prisoner or in preventing their escape, the risk incurred being estimated with regard to the obligations and the duties of the officer concerned and for the outstanding work done in the preceding year.

5. When awarded for gallantry the medal shall carry a monetary allowance at the rates and subject to the conditions set forth below. The charges thereof shall be borne by the revenue of the States/Union Territories concerned in respect of recipients belonging to the States/Union Territories and by the respective Central Organisations in respect of officers belonging to these Organisations.

(a) Where an Officer, who has already been awarded President Police Medal/Medal for fGallantry or that Medal and a Bar or a Bar thereto is subsequently awarded the President's Correctional Service Medal for a further act of Gallantry, he shall be paid the Full allowvnce attached to the latter Medal in addition to the original allowance;

(b) The allowance shall be granted from the date of the act for which the award is given and unless it is forfeited for misconduct, shall continue until death.

(c) Where a recipient is in receipt of the allowance at the time of his death, it shall be continued for life or till re-marriage of his widow (the first married wife having the preference), in the case of posthumous award of the Medal, or a Bar, the allowance shall be paid, from the date of the act for which the award is made, to the widow (the first married wife having preference) for her life or till re-marriage.

(d) When the award is made posthumously to a bachelor the monetary allowance shall be paid to his father or mother and in case the posthumous awardee is a widower, the allowance shall be paid to his son below 18 years or unmarried daughter as the case may be.

(e) All the recipients of this gallantry award shall be entitled to the monetary allowance on a uniform rate, irrespective of their ranks. The rate of monetary allowance for the Medal as also for the Bar to the Medal shall be Rupees One Hundred per mensem.

6. The Medal is liable to be forfeited when the holder is guilty of disloyalty cowardice in action or such conduct as in the opinion of the President, brings the force into disrepute.

7. Recommendations for the announcement of awards for distinguished service on the 26th January, (Republic Day) and the 15th August (Independence Day) should be forwarded so as to reach the Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs, not later than the 26th October, and 15th May, respectively each year.

CORRECTIONAL SERVICE MEDALS FOR MERITORIOUS SERVICE / GALLANTRY

1. Recommendations for award on the ground of conspicuous gallantry shall be made as soon as possible after the occasion on which the conspicuous gallantry was shown and in special circumstances recommendations for awards on other grounds may be made at any time for an immediate award.

2. All the recommendations shall state the name and rank of the person recommended the service of which he is or was a member and particularly of gallantry of the service for which the grant of the medal is recommended.

3. The number of medals awarded for meritorious service in any one year (excluding Bars) shall not exceed 75. There will be no limit on the medals to be awarded for gallantry in any one year.

4. The medal will be awarded :

(i) for a specially distinguished record in prison service;

(ii) success in organising correctional service or in maintaining the administration in special difficulties like mas admission of prisoners;

(iii) outstanding ability in putting out riots, preventing escape of prisoners,rescuing the officials, sportsmanship, public work, and exemplary service marked by efficiency, devotion of duty, intergrity, loyalty, high sense of discipline and spirit of sacrifice;

(iv) for an act of exceptional gallantry in apprehending prisoners or in preventing their escape, the risk incurred being estimated with regard to the obligations and the duties of the officer concerned.

(a) When awarded for gallantry the Medal as also the Bar to the medal shall, subject to the condition set forth for the President's Correctional Service Medal for gallantry, carry a monetary allowance on a uniform rate of Rupees Sixty per mensem, irrespective of the rank of the recipient. The charges, thereof, shall be borne by the revenues of the State Union Territories concerned on respect of the recipients belonging to the States Union Territories concerned and by the concerned Central Organisations in respect of the recipients belonging to these Organisations.

(b) Where an Officer, who has already been awarded either the Correctional Service Medal or that Medal and Bar or Bars thereto for gallantry is subsequently awarded the Correctional Service Medal for a further act of gallantry, he shall be paid the full allowance attached to the Bar to the later Medal in addition to the original allowance.

5. Where an officer who has already been awarded the Indian Police Medal / Medal for Gallantry is subsequently awarded the Correctional Service Medal for a further act of gallantry he should be paid the full allowance attached to the latter Medal in addition to the original allo-allowance.

6. The medal for gallantry shall be worn next to immediately after the PRESIDENT'S CORRECTIONAL SERVICE MEDAL.

7. The medal is liable to be forfeited when the holder is guilty of disloyalty, cowardice in action or such conduct as in the opinion of the President brings the force into disrepute.

8. Recommendations for the announcement of awards for meritorious service on the 26th January Republic Day and 15th August (Independence Day) should be forwarded so as to reach the Secretary to the Government of India, Ministry of home Affairs, not later than the 26th October and the 15th May respectively each year.

BARUN MITRA,
Deputy Secretary to the President

MINISTRY OF FOOD & CONSUMER AFFAIRS
(DEPARTMENT OF FOOD & CIVIL SUPPLIES)

Delhi, the 8th April 1999

RESOLUTION

No. F-1401/5/9/95-Hindi—In supersession of Resolution No. E-11015/9/95-Hindi , dated the 30th April, 1997 issued by the Ministry of Food & Consumer Affairs (erstwhile Ministry of Food), the Government of India have decided to re-constitute the Hindi Salahakar Samiti for the Ministry of Food & Consumer Affairs. The composition and the functions of the Samiti will be as follows :—

1. Ministr of Food & Consumer Affairs	Chairman
2. Minister of State for Food & Consumer Affairs	Vice Chairman
Members of Lok Sabha	
3. Dr. Ram Vilash Vedanti	Member
4. Sh. A. Venktesh Nayak	Member
Members of Rajya Sabha	
5. Shri Sangh Priya Gautam	Member
6. Shri Bal Kavi Bajragi	Member
Representatives of the Committee of Parliament on Official language	
7. Shri Somji Bhai Dagore MP, Lok Sabha	Member
8. Dr. Mahesh Chander Sharma, MP. Rajya Sabha	Member
Non-Official Members	
9. Dr. Babu Singh Chauhan, Sant Ravi Das Marg, Jail Road, Bahadurganj., Shah jahanpur (U.P.)-242001	Member
10. Sh. Suresh Mishra, Scientific Officer, U. P. Sugarcane Research Council Shahjahanpur (U.P.)-242001	Member
11. Sh. Sudhakar Prasad Ram Tiwari, Vill. Ruderpur, P. O. Khajni, Distt. Gorakhpur (U. P.)	Member
12. Dr. Keshav Falke, 12-B/20, Shaskiya Adhikari Nivas, Hazi Ali, Mumbai-34.	Member
13. Dr. T. Kunj Kishore Singh, Khagolband Thingom Lekai, Imphal, Manipur.	Member
14. Dr. M. Raman Nair, 'SINDHU' Mamangiam Palarivttam, Kochhi-682025 (Kerala)	Member
Representative from voluntary Organisation	
15. President, Nagri Pracharni Sabha, 1-A,Sunehari Bagh Road, New Dehi-110011	Member

16. Representative of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, New Delhi. — Member

Officials

17. Secretary, Deptt. of Official Language, — Member
18. Joint Secretary, Deptt. of Official Language, New Delhi. — Member
19. Secretary, Deptt. of Food & Civil Supplies — Member
20. Additional Secretary & Financial Adviser, Ministry of Food & Consumer Affairs, New Delhi. — Member
21. Joint Secretary (Policy), Deptt. of Food & Civil Supplies — Member
22. Joint Secretary (C.S.), Deptt. of Food & Civil Supplies — Member
23. Managing Director, Food Corporation of India, New Delhi. — Member
24. Managing Director, Central Warehousing Corporation, New Delhi. — Member
25. Secretary, Deptt. of Sugar & Edible Oils, New Delhi. — Member
26. Joint Secretary (Edible Oils), Deptt. of Sugar & Edible Oils, New Delhi. — Member
27. Joint Secretary (Sugar), Deptt. of Sugar & Edible Oils, New Delhi. — Member
28. Joint Secretary (Coord.), Deptt. of Sugar & Edible Oils, New Delhi. — Member
29. Chief Director, Directorate of Sugar, New Delhi. — Member
30. Chief Director, Directorate of Vanaspati, Vanaspati Oil & Fats, New Delhi. — Member
31. Chairman-cum-Managing Director, Hindustan Vegetable Oils Corporation, New Delhi. — Member
32. Secretary Deptt. of Consumer Affairs. — Member
33. Additional Secreatry, Deptt. of Consumer Affairs, — Member
34. Economic Adviser, Deptt. of Consumer Affairs — Member
35. Director General, Indian Standard Bureaku New Delhi. — Member
36. Managing Director, Super Bazar, New Delhi. — Member
37. Managing Director, National Consumer Cooperative Federation, New Delhi. — Member
38. Joint Secretary (Incharge of Hindi), Department of Food & Civil Supplies — Member

II. Functions of the Samiti

The Samiti would render advice to the Ministry of Food & Consumer Affairs and its attached and subordinate offices on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes and on allied issues falling within the frame-work of the policy laid down by the Ministry of Home Affairs (Department of Official Language).

III. Tenure

The term of the Samiti will be three years from the date of its reconstitution provided that :—

(a) a member who is a Member of Parliament ceases to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament;

(b) ex-officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are members of the Samiti;

(c) if a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death, etc. of a member, the member appointed in that capacity shall hold office for the residual term of three years.

IV. General

The headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES

The non official membes will be paid travelling and daily allowances, for attending the meetings of the Samiti as contained in the guidelines issued by the Department of Official Language vide their O.M. No. II/20034/4/86-OL (A-2) dated 22-1-1987 and as per prescribed rates and rules as amended by Government of India from time to time.

ORDERED that a a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentatary Affairs, Lok Sabha Secretariat Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller & Auditor General of India, Controller of Accounts, Ministry of Food & Consumer Affairs and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

BALBIR SINGH, Joint Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित—1999
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, DELHI—1999